

भाग एक: खण्ड बीस

मध्यप्रदेश वन सुरक्षा सहायक को देय वित्तीय सहायता नियम, 2006

क्रमांक/एफ-25/66/2004/10-3 भोपाल दिनांक 06 फरवरी, 2007

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश वन सुरक्षा सहायक को देय वित्तीय सहायता नियम, 2006" है।

(2) ये नियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

(3) ये नियम मध्यप्रदेश राज्यपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित न हो,

(क) "वन सुरक्षा सहायक" से तात्पर्य वन सुरक्षा श्रमिक अथवा वन समिति सदस्य अथवा वन अपराध या वन अपराधियों की जानकारी देने वाले मुखबिर से है।

(ख) "वन सुरक्षा श्रमिक" से तात्पर्य ऐसे दैनिक मजदूरी श्रमिक से है जिसे कि राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार की ओर से सशक्त किसी वन अधिकारी द्वारा या वन अधिकारी द्वारा या वन विभाग द्वारा प्रवर्तित किये जाने वाले अन्य किसी अधिनियम, नियम या निर्देश के किन्हीं आशयों को पूरा करने के लिए कार्य पर लगाया गया हो,

(ग) "वन समिति सदस्य" से तात्पर्य संयुक्त वन प्रबंध के तहत गठित एवं पंजीकृत ग्राम वन समिति, वन सुरक्षा समिति एवं ईको-विकास समिति के किसी भी ऐसे सदस्य से है जो कि इनमें से किसी समिति का विधिवत् सदस्य हो,

(घ) "वन समिति" से तात्पर्य ऐसी पंजीकृत ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति/ईको-विकास समिति से होगा, जिसे की वन विभाग के द्वारा इस रूप में मान्यता दी गई हो अथवा पंजीकृत किया गया हो,

(ङ) "आश्रित परिवार का सदस्य" से तात्पर्य वन सुरक्षा सहायक की पत्नी/पति अथवा पत्नी/पति की मृत्यु की अवस्था में वन सुरक्षा सहायक के विधिक उत्तराधिकारी से है,

(च) "प्रतिवेदक अधिकारी" से तात्पर्य ऐसे वन अधिकारी से जो परिक्षेत्र अधिकारी से अनिम्न अधिकारी होगा, जो कि इन नियमों के अंतर्गत किसी सुरक्षा सहायक को वित्तीय सहायता देने के लिए संबंधित वनमण्डलाधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(छ) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 में दी गई परिभाषाएं उसी रूप में इन नियमों के अंतर्गत भी लागू होंगी।

3. वन सुरक्षा सहायक को देय वित्तीय सहायता: - वन सुरक्षा सहायक को वन सुरक्षा संबंधी कार्य संपादित करते समय घायल होने अथवा मृत्यु हो जाने की अवस्था में उस पर आश्रित परिवार के सदस्य को आरक्षी केन्द्र में प्राथमिक सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर) दर्ज होने के उपरान्त निम्नानुसार शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्ति की पात्रता रहेगी: -

(क) घायल होने पर इलाज का वास्तविक व्यय।

(ख) गंभीर रूप से घायल होने पर रुपये 2000/- (रुपये दो हजार) तक तात्कालिक सहायता राशि एवं इलाज का वास्तविक व्यय तथा चिकित्सक की सलाह अनुसार बैड रेस्ट तक का पारिश्रमिक/वेतन।

(ग) स्थायी अपंग (Permanent disability) होने पर रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) तथा इलाज का वास्तविक व्यय।

(घ) मृत्यु होने पर रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख) की अनुग्रह राशि।

(ङ) किसी वन अपराधी द्वारा उसके विरुद्ध लाये गये न्यायालयीन प्रकरण में से न्यायालयीन व्यय की प्रतिपूर्ति की समस्त राशि।

4. देय वित्तीय सहायता के सहायता प्रक्रिया एवं अन्य प्रावधान: -

(1) उपरोक्तानुसार नियम 3 में देय वित्तीय सहायता का भुगतान संबंधित वनमण्डल के वनमण्डलाधिकारी द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी से अनिम्न प्रतिवेदन अधिकारी के प्रतिवेदन के प्रस्ताव पर स्वयं की संतुष्टि होने पर किया जा सकेगा।

(2) राशि का भुगतान स्वयं वन सुरक्षा सहायक को या उसकी मृत्यु की अवस्था में उस पर आश्रित "परिवार के सदस्य" को ही किया जावेगा।

(3) प्रतिवेदन अधिकारी अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट करेंगे कि संबंधित वन सुरक्षा सहायक/वन सुरक्षा श्रमिक अथवा वन समिति सदस्य वन सुरक्षा के कार्यों के निर्वहन के दौरान घायल हुआ है अथवा मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार वे ही यह भी प्रमाणित करेंगे कि संबंधित वन सुरक्षा से जुड़े हुए कारणों से ही अथवा वन सुरक्षा संबंधी कार्रवाई के दौरान ही घायल या मृत हुआ है।

(4) किसी भी वित्तीय सहायता का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक से देय बैंक ड्राफ्ट/क्रासड चैक द्वारा किया जावेगा। विशेष परिस्थिति में रुपये 1000/- (रुपये एक हजार) तक की राशि प्रति प्रकरण भुगतान सीधे नगद भी किया जा सकेगा।

(5) घायल होने पर उपचार पर आये वास्तविक व्यय का भुगतान किसी शासकीय चिकित्सक के दौरा प्रमाणित किये जाने पर तथा प्रतिवेदक अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर उपरांत वनमण्डलाधिकारी के दौरा उतनी ही राशि तक किया जा सकेगा, जिसे वे संबंधित उपचार आदि पर हुए व्यय के लिए सही एवं समुचित पायेंगे और जो नियम-3 के प्रावधानों तक ही सीमित करेगा।

(6) मृत्यु की अवस्था में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर ही भुगतान की पात्रता होगी।

(7) प्रतिवेदन अधिकारी स्वतः अथवा संबंधित परिक्षेत्राधिकारी के माध्यम से त्वरित उपचार हेतु वन सुरक्षा सहायक को ऐसी राशि का अग्रिम के रूप में भी भुगतान कर सकेगा, जिसे वे उपचार के लिए आवश्यक समझें। वनमण्डलाधिकारी, प्रतिवेदक अधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा दिये गये अग्रिम को नियमानुकूल और सही पाये जाने की अवस्था में कुल देय राशि से एडवान्स के रूप में दी गई राशि को कम कर भुगतान करेंगे।

(8) सामूहिक रूप से वन सुरक्षा के कार्यों के दौरान घायल अथवा मृत्यु होने की अवस्था में मृत्यु होने की अवस्था में प्रत्येक वन सुरक्षा सहायक को उपरोक्तानुसार राशि का पृथक-पृथक भुगतान किया जा सकेगा।

(9) जिन प्रकरणों का निराकरण कर्मकार-प्रतिकर नियम, 1923 के अंतर्गत विचारधीन हों, उन प्रकरणों को इन नियमों के तहत निराकृत नहीं किया जायेगा।

5. अपील - कोई भी वन सुरक्षा सहायक, धारा 4 में पारित आदेश से व्यथित हो तो वह तत्संबंध में आदेश पारित होने के 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय वन संरक्षक को अपील दायर कर सकेगा एवं क्षेत्रीय वन संरक्षक उभय पक्षों को सुनने के उपरांत अपील प्रस्तुत होने के 45 दिन के अंदर अपना आदेश प्रसारित करेंगे जो कि अंतिम होगा।

.....

भोपाल, दिनांक 27 जून 2008

क्रमांक एफ 3-01/1999/10-1, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.12.2007 के द्वारा वन सुरक्षा के दौरान शहीद वन कर्मियों के आश्रितों को रु. 5.00 लाख (पांच लाख) अनुग्रह राशि स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए थे।

2. राज्य शासन द्वारा एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि वनों की सुरक्षा के दौरान शहीद वन कर्मियों के आश्रितों को रु. 5.00 लाख के स्थान पर रुपये 10.00 लाख (रुपये दस लाख) विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाये।

.....